



यू.एस. मानदंडों के साथ भारतीय पेटेंट व्यवस्था का टकराव

प्रलिमिंस के लिये:

वशिष रपिर्ट 301, IPR, दोहा घोषणा, प्राथमकता नगिरानी सूची, भारतीय पेटेंट अधिनियम।

मेन्स के लिये:

भारत के IPR से संबंधित मुद्दे, भारतीय पेटेंट अधिनियम।

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने अपनी वार्षिक वशिष 301 रपिर्ट में भारत में IP चुनौतियों को उजागर किया।

- रपिर्ट में कॉपीराइट और पायरेसी से लेकर ट्रेडमार्क जालसाजी और व्यापार रहस्यों तक के कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जसिमें कहा गया है कि भारत IP के संरक्षण और प्रवर्तन के संबंध में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- इसने छह अन्य देशों- अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस और वेनेजुएला के साथ भारत को अपनी प्राथमकता नगिरानी सूची में बनाए रखने का फैसला किया है।
- यू.एस. व्यापार कानून ("वशिष 301") के लिये देशों में बौद्धिक संपदा संरक्षण और बाजार पहुँच प्रथाओं की वार्षिक समीक्षा की आवश्यकता है।
- व्यापार भागीदार जो वर्तमान में आईपी अधिकारों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें या तो प्राथमकता नगिरानी सूची या नगिरानी सूची में रखा जाता है।

भारतीय पेटेंट व्यवस्था:

- पेटेंट आविष्कार के लिये दिये गए अधिकारों का एक वशिष सेट है, जो एक उत्पाद या प्रक्रिया हो सकती है जो कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करती है या किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करती है।
- भारतीय पेटेंट 1970 के भारतीय पेटेंट अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। अधिनियम के तहत पेटेंट दिये जाते हैं यदि आविष्कार नमिनलखिति मानदंडों को पूरा करता है:
 - यह नया होना चाहिये।
 - इसमें आविष्कारशील कदम होना चाहिये या यह स्पष्ट नहीं होना चाहिये।
 - यह औद्योगिक अनुप्रयोग के लिये सक्षम होना चाहिये।
 - इसे पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होना चाहिये।
- भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के साथ धीरे-धीरे खुद को जोड़ लिया है।
- 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के बाद यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS) समझौते का एक पक्ष बन गया।
 - इसके बाद इसने ट्रिप्स का अनुपालन करने हेतु अपने आंतरिक पेटेंट कानूनों में संशोधन किया गया, वशिष रूप से वर्ष 2005 में जब इसने कानून में फार्मास्यूटिकल उत्पाद पेटेंट को शामिल किया गए।
- IPR से संबंधित अन्य कन्वेंशन:
 - भारत कई बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) से संबंधित कन्वेंशन/सम्मेलनों का भी एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है जसिमें बर्न कन्वेंशन जो कॉपीराइट, बुडापेस्ट संधि, औद्योगिक संपत्तिके संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन और पेटेंट सहयोग संधि (PCT) शामिल हैं जो वभिन्न पेटेंट से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है।
- मूल भारतीय पेटेंट अधिनियम ने दवा उत्पादों को पेटेंट संरक्षण प्रदान नहीं किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दवाएँ कम कीमत पर जनता के लिये उपलब्ध हों।
 - यह नयायवदि राजगोपाल आयंगर की अध्यक्षता में 1959 के आयोग की सफारिशों पर आधारित था।
- ट्रिप्स का अनुपालन करने के लिये वर्ष 2005 के संशोधन के बाद फार्मास्यूटिकल्स के पेटेंट संरक्षण को फरि से पेश किया गया था।

USTR द्वारा चहिनति कयि गए भारतीय मुद्दे:

- पेटेंट के मुद्दे "भारत में वशिष रूप से चिता का वषिय बने हुए हैं", पेटेंट नरिस्तीकरण के खतरे को उजागर करते हुए पेटेंट वैधता के अनुमान की कमी और संकीरण पेटेंट योग्यता मानदंड वभिनिन क्षेत्रों में कंपनियों को प्रभावति करते हैं।
- भारतीय पेटेंट अधनियम की धारा 3 (डी) के संबंध में संकीरण पेटेंट योग्यता मानदंड का मुद्दा फरि से उठाया गया था, रपिर्त में कहा गया था कि फारमास्युटिकल क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट-योग्य वषिय वस्तु पर प्रतबिंध की नगिरानी करना जारी रखता है।

भारतीय पेटेंट अधनियम की धारा 3 और धारा 3 (डी):

- धारा 3 अधनियम के तहत आवषिकार के रूप में योग्य नहीं होने से संबंधति है।
- भारतीय पेटेंट अधनियम 1970 (2005 में संशोधति) की धारा 3 (डी) एक ज्ञात पदार्थ के नए रूपों को शामिल करने वाले आवषिकारों को पेटेंट देने की अनुमति नहीं देती है, जब तक कि यह प्रभावकारति के संबंध में गुणों में महत्त्वपूर्ण रूप से भनिन न हो।
 - या कसिी ज्ञात पदार्थ से संबंधति कसिी नई संपत्ति या नए उपयोग की खोज मात्र,
 - या कसिी ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या उपकरण के केवल उपयोग के लिये जब तक कि ऐसी ज्ञात प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एक नया उत्पाद न हो,
 - या कम से कम एक नए अभिकारक" को पेटेंट कानून के तहत संरक्षण के लिये पात्र होने से रोकता है।,
 - धारा 3 (डी) पेटेंट की "एवरग्रीनगि" के रूप में जानी जाने वाली चीजों को रोकती है।
 - यह एक कॉर्पोरेट, कानूनी, व्यावसायिक और तकनीकी रणनीति है, जसिे एक ऐसे अधिकार क्षेत्र में दी गई पेटेंट की अवधि को वसितुत करने / बढ़ाने के लिये उपयोग कयिा जाता है, जसिकी अवधि समाप्त होने वाली है ताकि नए पेटेंट नरिस्ति कर उनसे रॉयल्टी बरकरार रखी जा सके।
- समतिकी रपिर्त के अनुसार, धारा 3 (डी) केवल नवीन और वास्तविक आवषिकारों का पेटेंट कराकर सामान्य प्रतसिपरद्धा की अनुमति देती है।
- नोवार्टिस बनाम भारत संघ (2013) मामले में मौलिक नरिणय ने धारा 3 (डी) की वैधता को बरकरार रखा।

नोवार्टिस बनाम भारत संघ का अरद्ध-नरिणय:

- इस मामले में दवा कंपनी नोवार्टिस ने कैंसर की दवा ग्लीवेक के अंतिम रूप के लिये पेटेंट दाखलि कयिा था, जसिे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ग्लीवेक एक ज्ञात दवा का केवल बीटा क्रसि्टलीय रूप था, अर्थात्, आई मेटनिबि मेसाइलेट और प्रभावकारति के संबंध में गुणों में अधिक भनिन नहीं था। इसलिये इसे भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सका।
- फैसले में यह भी कहा गया है कि धारा 3 ट्रपिस समझौते और दोहा घोषणा का अनुपालन करती है।
 - ट्रपिस समझौते और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा को नवंबर 2021 में वशि्व व्यापार संगठन के सदस्य राज्यों द्वारा अपनाया गया था।
 - यह घोषणा "वकिसशील और सबसे कम वकिसति देशों को प्रभावति करने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं की गंभीरता" को पहचानती है और इन समस्याओं के समाधान के लिये ट्रपिस को व्यापक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई का हसिसा बनने की आवश्यकता पर बल देती है।
 - घोषणा में कहा गया है कि समझौते की व्याख्या की जा सकती है और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिये वशि्व व्यापार संगठन के सदस्यों के अधिकार के समर्थन में और वशिष रूप से सभी के लिये दवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देने के लिये लागू कयिा जाना चाहिये।
 - इन लचीलेपन में अनविर्य लाइसेंस देने का अधिकार और ऐसे लाइसेंस के आधार शामिल हैं,
 - यह नरिधारति करने का अधिकार कि "राष्ट्रीय आपातकाल या सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों सहति अत्यधिक तात्कालिकता की अन्य परसिथितियों क्या हैं" और बौद्धिक संपदा अधिकारों की समाप्ति के लिये अपना स्वयं का शासन स्थापति करने का अधिकार भी शामिल है।
- अनविर्य लाइसेंसिगि एक राज्य द्वारा जनहति में लागू कयिा जा सकता है, पेटेंट मालिक के अलावा कंपनियों को सहमति के बिना पेटेंट उत्पाद का उत्पादन करने की इजाजत देता है।

आगे की राह

- भारत को धारा 3 (डी) के तहत पेटेंट योग्यता मानदंड से समझौता नहीं करना चाहिये क्योंकि एक संप्रभु देश के रूप में इसकी मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुरूप पेटेंट के अनुदान पर सीमाएँ नरिधारति करने की लचीलापन है।
 - यह जेनेरिक दवा नरिमाताओं की वृद्धि और जनता की सस्ती दवाओं तक पहुँच सुनिश्चति करता है।
- भारत को द्वपिक्षीय वार्ता के माध्यम से वृद्धशील आवषिकारों की अयोग्यता के संबंध में अमेरिका के साथ अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिये।
- वशि्व व्यापार संगठन के सदस्य देश 'एवरग्रीनगि' को कम करने वाले आवषिकार और पेटेंट योग्यता की कठोर परिभाषाओं को अपनाकर और लागू करके ट्रपिस समझौते में उपलब्ध नीतगति स्थान का पूरा उपयोग करते हैं और यह सुनिश्चति करते हैं कि पेटेंट केवल तभी प्रदान कयिे जाते हैं जब वास्तविक नवाचार हुआ हो।
- धारा 3 (डी) के माध्यम से, भारत अंतरराष्ट्रीय पेटेंट दायित्वों और सामाजिक-आर्थिक कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिये अपनी प्रतबिद्धताओं को संतुलति करने का प्रयास करता है।

स्रोत- द हद्वि

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/indian-patent-regime-clash-with-the-u-s-norms>

